



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वनमण्डल अंतर्गत 5.075 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 5.075 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: ०८/०९/२०२०

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-834/1656

नया रायपुर, दिनांक 10/09/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Balod Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.075 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/43110/2019

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/तक.अधि/ 5496 दिनांक 13.08.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशः निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत डौंडी एवं डौंडीलोहारा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ वे के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.824 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.251 हे. कुल 5.075 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/OFC/43110/2019 आबंटित किये गये हैं। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रु. 24,000/- जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	2 -3
3.	वन क्षेत्र विवरण:- बालोद वनमंडल के परिक्षेत्र बालोद, दल्ली, डौण्डी, लोहारा के आरक्षित वन का रकबा 3.599 हे. एवं संरक्षित वन का रकबा 1.225 तथा राजस्व वन भूमि के रकबा 0.251 हे. कुल 5.075 हे. वनभूमि का प्रत्यार्वतन किया जाना है।	4-13
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट ऑफ वे के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने जायेगी, जिसमें प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 36.431 हे. है।	14

5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, बालोद वन मंडल द्वारा सत्यापित है।	15-18
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफएमआईएस द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	19-23
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 76 करोड़ 80 लाख रु. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और बिछड़े समुदायों के जी.वेकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा प्रस्ताव में वन क्षेत्र की मांग न्यूनतम है।	24-40
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	41-43
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी बालोद द्वारा भी हस्ताक्षरित है।	44
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	45
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 29.06.2020 को स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, बालोद के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा दिनांक 23.08.2020 को वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। फायबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 से कम है।	46-63
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	64
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तिसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- ब्लॉक के अधिनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल केबल लाईन बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, का कथन यूजर एजेंसी द्वारा की गई है।	65-68
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- बालोद जिले के बालोद वन मण्डल का कुल वन भूमि 862.920 वर्ग कि.मी. है।	69
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- प्रस्ताव पृष्ठ 66 पर स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का विवरण संलग्न है। बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कुल 684.058 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में प्रभावित हुई है।	70
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- बालोद वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं है।	71
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण	72

17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है तदाशय का वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	72
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनपत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बालोद द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 15.01.2020 द्वारा जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	73-74
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बालोद के पत्र क्र. 12 / प्र.क. ले./ 2020 दिनांक 15.01.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है।	75-78
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- प्रस्ताव के पेज क्रमांक 79 में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है।	79
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर से ओ.एफ.सी. लाईन गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	80 - 128

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मांगदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
 2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
 3. भाग-4
 4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

